निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 06/2022 (रसद अपील)

मैसर्स सुगन चन्द प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत बसई, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर जरिये मालिक फर्म सुगन चन्द।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 05.10.2021 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द जैन अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 01.08.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 05.10.2021 जिसके द्वारा अपीलार्थी मैसर्स सुगन चन्द प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत बसई, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर को प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने का दोषी मानते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त किये जाने के पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद् पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानो के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 व प्राधिकार पत्र की शर्तो तथा निर्बन्धनों, राज्य एवं केन्द्र सरकार के आदेशों व सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ जो उसे राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का विक्रय व वितरण यूनिट रजिस्टर तथा ई–सूची में दर्ज राशनकार्डधारी

जिला कलक्टर
जयपुर

उपभोक्ताओं को डिजीटल राशनकार्ड या आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक कोटपूतली ने बिना किसी प्रकार की जांच व पूछताछ किये अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 11.05.2021 को एक रिपोर्ट तथा दिनांक 12.07.2021 को उचित मूल्य दुकान ग्राम बसई, तहसील कोटपूतली की जांच कर, जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष पेश की। अपीलार्थी के विरूद्ध क्रमशः प्रकरण संख्या 46/2021 दिनांक 11.05.2021 व प्रकरण संख्या 67/2021 दिनांक 14.07.2021 कुल दो प्रकरण जिला रसद कार्यालय में दर्ज हुये। दर्ज प्रकरणों व प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्टो के आधार पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने क्रमशः नोटिस क्रमांक 683 दिनांक 11.05.2021 व 976 दिनांक 14.07.2021 अपीलार्थी को भेजे गये जिनमे निम्नलिखित अनियमिततायें होना अंकित किया है :-(क) प्रकरण संख्या 46/2021 :- आप द्वारा विभागीय आदेशों के बावजूद आपूर्ति किये गये गेहूँ को समय से रिसीव नहीं किया जाता है। गेहूँ रिसीव नहीं किये जाने वाले डीलर्स की सूची में लगभग प्रत्येक माह आपका नाम आता है। आप द्वारा न तो फोन रिसीव किया जाता है ओर ना ही समय से विभाग द्वारा मांगी जाने वाली सूचनायें प्रेषित की जाती है, जैसे दिनांक 05.05.2021 को राशन डीलर द्वारा वैक्सीनेशन किये जाने संबंधी सूचना भी प्रेषित नहीं की गई। (ख) प्रकरण संख्या 67/2021 :- (1). स्टॉक रजिस्टर का संधारण न किया जाना पाया गया। (2) राशन डीलर द्वारा आज दिनांक तक तुलामान का सत्यापन नहीं किया जाना पाया गया। (3) उचित मूल्य के भौतिक सत्यापन पर 11834.15 किलोग्राम गेहूँ, 8 किलोग्राम चीनी, 10 लीटर केरोसीन तथा 24 किलोग्राम चना एवं 533 किलोग्राम दाल कम पायी गई। (4) उपभोक्ता श्री नत्थूराम गुर्जर, श्री पूरणमल एवं श्री राम द्वारा आप पर अभद्रता, मनमानी एवं अनियमितता किये जाने, राशन नहीं दिये जाने की शिकायत की गई है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने बिना तथ्यों की जांच किये तथा अपीलार्थी को बिना सुने एक तरफा आदेश क्रमांक दिनांक 377 दिनांक 14.07.2021 द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया। अपीलार्थी को ना तो निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 12.07.2021 व ना ही प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 14.07.2021 एवं 05.05.2021 की प्रति दी गई। जिसको आधार मानकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के प्रकरण संख्या 46/2021 में जारी कारण बताओं नोटिस क्रमांक 683 दिनांक 11.05.2021 का दिनांक 17.05.2021 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि गांव में नेटवर्क कम आने के कारण गेहूँ देरी से रिसीव होता है तथा दिनांक 24.05.2021 को वेक्सीनेशन का टीका लगवा लिया गया है जिसकी रसीद प्राप्त न होने के कारण विभाग को सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी। अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के प्रकरण संख्या 67/2021 में जारी कारण बताओं नोटिस संख्या 976 दिनांक 14.07.2021 का दिनांक 03.08.2021 को बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्न प्रस्तुत किया। (1) स्टॉक रजिस्टर पूर्ण कर लिया गया है जिसकी प्रति जवाब के सलग्न की गई। (2) ऑन लाईन साईट नहीं चलने के कारण टाईम लग गया था, ऑन लाईन चालू होने के

जिला कलक्टर
जयपुर

बाद तुलामान का सत्यापन कर लिया गया था, जिसकी प्रति सलग्न की गई। (3) अपीलार्थी 5–6 माह से बीमार होने से अपीलार्थी का पुत्र दुकान का कार्य देख रहा था, उसके द्वारा डबल राशन आने से दुकान के अन्दर जगह कम होने के कारण दुकान के सलग्न कमरो में राशन खाली करवा लिया था। जांच के समय अपीलार्थी बीमार था तथा इस दुकान के कमरे में रखी सामग्री का भौतिक सत्यापन नहीं करवा सका। (4) अपीलार्थी ने किसी भी उपभोक्ता से अभद व्यवहार नहीं किया गया। गांव के कुछ आदतन लोगो द्वारा शिकायत की गई है। दिनांक 20.12.2021 को अपीलार्थी के जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होने पर ज्ञात हुआ कि जिला रसद अधिकारी ने निर्णय व आदेश दिनांक 05.10.2021 द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम बसाई तहसील कोटपूतली का प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा 1000/–रूपये प्रतिभूति राशि जब्त करने का एक तरफा आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण व धरोहर राशि जब्त करने का आदेश क्रमांक 1244 दिनांक 05.10.2021 को जारी हुआ है जो कि अपीलार्थी को आज दिनांक तक नहीं मिला जबकि आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 के अन्तर्गत जारी आदेश/निर्णय की प्रति अपीलार्थी को दिये जाने का प्रावघान है, ताकि अपीलार्थी उक्त आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत कर सके। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के उक्त आलोच्य आदेश की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 30.11.2021 को प्राप्त हुई, जिसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.11.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस आरेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलार्थी को दिनांक 20.12.2021 को प्राप्त हुई। आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने तथा माननीय न्यायालय सुप्रिम कोर्ट ऑफ इण्डिया द्वारा Suo Moto writ petition © No. 30/2020 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2022 द्वारा कोरोना महामारी के चलते दिनांक 15.03.2020 से 26.012.2022 तक मियाद सीमा में छूट प्रदान किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्दर मियाद छूट सीमा में होने से समयावधि में प्रस्तुत है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय का आलोच्य निर्णय दिनांक 05.10.2021 एक तरफा विधि के विरुद्व तथ्यों के विपरीत तथा अपीलार्थी के संवैधानिक व मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात प्रतर्वन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 5.5.2021 एवं 14.07.2021 एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 12.07.2021 की कापी अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई और ना ही नोटिस दिनांक 11.05.2021 एवं 14.07.2021 के संलग्न प्रेषित की गई थी। जबकि नियमानुसार उपरोक्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट उपलब्ध करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक था। जिला रसद अधिकारी द्वारा जानबूझ कर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों तथा भारतीय संविधान के आर्टीकल–14 की अवहेलना की है। इस आधार पर उपरोक्त निरीक्षण रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट सारहीन है। जैसा कि AIR 1976 Andhra Pradesh 185 में निर्णित किया गया है। इसी प्रकार कलकत्ता हाईकोर्ट नें अपनी नजीर 1988 EFR के पेज नम्बर 475 शहादत हुसैन बनाम सब डिवीजन कन्ट्रोल एण्ड फूड सप्लाई कटवा के पैरा 10 में निम्न लिखित सिद्वान्त प्रतिपादित किया है। जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत

जिला कलक्टर
जयपुर

जवाब का ना तो सही रूप से अवलोकन किया तथा ना ही उनके निर्णय में इसका उल्लेख है तथा ना ही अपीलार्थी को सुना गया जिससे आलोच्य आदेश निरस्तनीय है । इस सम्बन्ध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2008(1) ई एफ आर 570 हरलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि " आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि दुकानदार को सुनवाई का अवसर दिया गया एवं उसे सुना गया। जिसकी अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपने निर्णय दिनांक 05.10.2021 में यह वर्णित नही किया है कि प्राधिकृत विक्रेता अपीलार्थी ने राजस्थान खाद्यान्न एव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के किस खण्ड व प्राधिकार पत्र की किस शर्त का उल्लंघन किया है इससे भी उक्त आदेश व निर्णय निरस्तनीय है। जैसा कि 2008 (2) ई एफ आर 601 स्टेट ऑफ उडिसा बनाम अशोक कुमार साहू में निर्णित किया गया है । अपीलार्थी पर विभागीय आदेशों के बावजूद आपूर्ति किये गये गेहूँ को समय पर रिसीव नहीं किये जाने गेहूं रिसीव नहीं किये जाने वाले डीलर्स की सूची में लगभग प्रत्येक माह नाम आने की अनियमितता बताई गई है। प्रतर्नन निरीक्षक की रिपोर्ट में व नोटिस में यह वर्णित नहीं है कि अप्रेल व मई 2021 से पूर्व किस माह मे आपूर्ति किये गये गेहूं को समय पर रिसीव नहीं किया गया। यह उल्लेखनीय है कि गांव में नेटवर्क बहुत कम आता है तथा गांव में नेटवर्क नहीं आने के कारण कभी कभार गेहूं देरी से रिसीव होता है। यह अनियमितता तकनीकी कमियों से सम्बन्धित है जिसके लिए किसी प्रधिकारधारक को दोषी नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी की दुकान ग्रामीण क्षेत्र में होने व ग्रामीण क्षेत्र में ऑन लाईन साईट नहीं चलने जैसी समस्या आम तौर पर होने के कारण तुलामाना का समय पर सत्यापन कराने के समय लग रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में ऑन लाईन साइड चालू होने पर अपीलार्थी द्वारा तुलामान का सत्यापन करा लिया गया है। यह तकनीकी अनियमितता है, गम्भीर अनियमितता नही है। जिसके कारण आलौच्य आदेश निरस्तनीय है। अपीलार्थी के पास भौतिक रूप से आज भी खाद्यान्न सामग्री 1193.15 किलोग्राम गेहूं, 8 किलोग्राम चीनी, 10 लीटर केरोसीन, 24 किलोग्राम चना एवं 533 किलोग्राम दाल गोदाम में रखा हुआ है व उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से गबन नहीं किया गया है। जबकि नियमों में इस प्रकार से दुकान के अलावा अस्थाई गोदाम में खाद्यान्न सामग्री रखने की सूचना देना प्र्याप्त है जिसकी सूचना अपीलार्थी द्वारा समय से पूर्व दी हुई है जिसके कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आलौच्य आदेश निरस्तनीय है जैसा कि 2004(2) Cr.L.R. (Raj) 1221 Nand Lal V/s State of Rajasthan & othr में निर्णित किया गया है। अपीलार्थी को परेशान करने की नियत से गांव के कुछ आदतन लोगों द्वारा शिकायत की गई है कि जबकि आरोप पत्र में वर्णित राशन कार्ड नम्बर 007909500012, नत्थूराम, राशनकार्ड नम्बर 00790950129 गोविन्द (पूरण मल पुत्र गोविन्द) ,राशन कार्ड 00790950129 नाथी को समय समय पर उनको दी जाने वाली राशन सामग्री नियमित रूप से दी गई है जिससे जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी की पत्रावली

जिला कलक्टर
जयपुर

संख्या 67/2021 व 5–10–2021 तथा पत्रावली संख्या 46/2021 की आर्डरशीट 11.05.2021, 17.05.2021, 28.06.2021 व 31.08.2021 अवलोकनीय है। अपीलार्थी की व्यक्तिगत सुनवाई नहीं की गई तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब 03.09.21021 पत्रावली शामिल नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के जबाब पर गौर नही किया गया और ना ही व्यक्तिगत सुना गया। बिना गुण दोष प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट को साक्ष्य मानते हुये एक तरफा आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय हे। जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में यह नहीं बताया कि अपीलार्थी द्वारा आदेश 1976 के किस खण्ड व प्राधिकार पत्र की किस शर्त का उल्लंघन किया है । अपीलार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों व राजस्थान, खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया जाना साबित नही होता है अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने का आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की डीलर श्री सुगन चन्द द्वारा विभागीय आदेशों के बावजूद आपूर्ति किये गये गेहूँ को समय से रिसीव नहीं किया जाता है तथा गेहूँ रिसीव नहीं किये जाने वाले डीलर्स की सूची में लगभग प्रत्येक माह नाम आता है। डीलर द्वारा न तो फोन रिसीव किया जाता है ओर ना ही समय से विभाग द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाये प्रेषित की जाती है। दौराने निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर का संधारण नही किया गया, डीलर द्वारा तुलामान का सत्यापन नहीं कराया गया, उचित मूल्य दुकान के भौतिक सत्यापन पर 11834.15 किलोग्राम गेहूँ, 8 किलोग्राम चीनी, 10 लीटर केरोसीन तथा 24 किलोग्राम चना एवं 533 किलोग्राम दाल कम पायी गई जो गबन/दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। साथ ही सपठित कन्ट्रोल आदेश 2001 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जिससे अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त स्वीकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. सर्वप्रथम हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थी की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 67/2021 में वक्त निरीक्षण रिकार्ड के अनुसार उचित मूल्य दुकान पर कुल 31034.15 किलोग्राम गेहूं होना चाहिये था, परन्तु भौतिक सत्यापन पर गेहूं के 382 कट्टे अर्थात लगभग 19100 किलाग्राम गेहूं ही पाया गया

जिला कलक्टर
जयपुर

है। इस प्रकार 11934.15 किलो ग्राम गेहूं भौतिक रूप से कम पाया गया है। 8 किलो चीनी, 10 लीटर केरोसीन, 24 किलोग्राम चना व 633 किलोग्राम चना दाल कम पाई गई है। अपीलार्थी को अनियमितताओं बाबत क्रमांक 976 दिनांक 14.07.2021 को नोटिस जारी किया गया है, परन्तु कम पाये गये गेहूं, चीनी, केरोसीन, चना तथा दाल बाबत कोई युक्ति युक्त जवाब/प्रत्युत्तर जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया और न ही अपील मेमो में या दौराने सुनवाई प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी ने उक्त सामान उचित मूल्य दुकान में रखा होना बताया है जबकि नियमानुसार दुकान निलम्बित किये जाने पर अस्थाई वितरण व्यवस्था के लिए पास में स्थित उचित मूल्य की दुकान के अटैच की जाती है। शेष सामग्री वितरण करने के लिए अटैच किये गये उचित मूल्य दुकानदार को शेष सामग्री को सम्भलाना होता है, परन्तु अपीलार्थी डीलर द्वारा ऐसी कोई प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए अपीलार्थी डीलर का यह कथन मान्य नहीं है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दौराने कार्यवाही दिनांक 12.07.2021 को स्वतंत्र गवाह उपभोक्ता पूरणमल सराधना व नत्थूराम गुर्जर ने अपीलार्थी डीलर द्वारा उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने, राशन होते हुये भी दिये जाने से इन्कार किये जाने के आरोप लगाते हुये बयान दर्ज कराये गये इसलिए प्रार्थी के तर्कों को बल नहीं मिलता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरुप अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर